

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 29.12.2017

तहसीलदार मसूदा ने सारांक्षत अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि मौजा गुवाडिया तहसील मसूदा जिला-अजमेर में स्थित भूमि खसरा नंबर 4011 रकबा 02-15-00 प्रतिवादी के नाम खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खिलाफ कानून व विधि विरुद्ध उपरोक्त खसराजात की समस्त कृषि दर अप्रार्थी संख्या 1 ने अवैध खनन कर रखी है, जबकि प्रार्थी तहसीलदार मसूदा भूमि धारक होने से उक्त कृषि भूमि का स्वामी है तथा बिना प्रार्थी की अनुमति के अप्रार्थी को कोई अधिकार कृषि भूमि की किस्म बदलने का नहीं होने के बावजूद भूमि को अकृषि में तब्दील कर दिया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अवैध खनन पाये गये हैं, जो अनाधिकृत रूप से खिलाफ कानून कार्य किया है। अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.04.2017 को कहलवाने की वो वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी खारीज करवाने व आबाद व्यक्तियों द्वारा भूमि रिक्त किये जाने का कहा व कहलवाया तो वो ऐसा करने से साफ इंकार हो गये इसलिये वाद की आवश्यकता हुई है। अतः अप्रार्थी की खातेदारी निरस्त फरमाई जाकर वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जावे भूमि सिवायचक घोषित किया जावे। व न ही कृषि कार्य के अलावा अन्य प्रकृति का कार्य करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.04.2017 में खसरा संख्या 4011 में अवैध खनन करने से बना हुआ खनन पिट पाया गया जो कि पुराना लगता है। राजस्व रेकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 4011 नूरा पुत्र करणा जाति मेरात निवासी गुवाडिया के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा अवैध खनन किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ग्राम गुवाडिया पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2069-72 के खाता संख्या 177 में अन्य खसरान् के साथ वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 4011 रकबा 02-15-00 किस्म बारानी-3 में नूरा वल्द करणा कौम मेरात सा0 देह खातेदार दर्ज है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौका रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं नंबर ग्राम गुवाडिया पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम के खसरा संख्या 4011 रकबा 02-15-00 किस्म बारानी-3 में उक्त कृषि भूमियों का बिना संरपरिवर्तन करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने का उक्त कृत्य राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने एवं भूमि अवैध खनन करवाया जाकर भारी मुनाफा कमाने का जरिया एवं खनन माफियाओं को बढ़ावा देने की नियत से यह कार्यवाही किया जाना पाया जाता है। तथा साथ ही धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त वादग्रस्त भूमियों को सिवायचक घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मसूदा को ग्राम गुवाडिया पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम के खसरा संख्या 4011 रकबा 02-15-00 किस्म बारानी-3 को राजस्व अभिलेखों में सिवायचक सरकारी भूमि अंकित करते हुए कब्जा सरकार के तहवील में लिये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)



वस्व अह हुक्क जार

वस्व अह हुक्क जार

वस्व अह हुक्क जार

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

आज 29/12/17

कोई अज्ञात

वादी की जाती है

29/12/17

उपखण्ड अधिकारी

मसूदा (अजमेर)

कोई अज्ञात

वादी की जाती है

29/12/17